

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

आय-कर

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 29 जुलाई, 2015

का.आ. 2070 (अ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2015 है ।
(2) ये 1 अप्रैल 2015 से प्रवृत्त समझे जाएंगे ।
2. आय-कर नियम, 1962 में, परिशिष्ट-2 में, प्ररूप आ.क.वि.-3, प्ररूप आ.क.वि.-4, प्ररूप आ.क.वि.5, प्ररूप आ.क.वि.-6 और प्ररूप आ.क.वि.-7 के स्थान पर, क्रमनुसार निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:-

[अधिसूचना सं.61/2015/फा.सं.142/1/2015-टीपीएल]

(गौरव कनौजिया)

निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक. का.आ.1683 (अ) तारीख 24/06/2015 द्वारा किया गया ।